ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-6* July - 2017
Innovation The Research Concept

उ0प्र0 में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या

अर्चना पाण्डेय
प्रवक्ता,
अर्थशास्त्र विभाग,
के0 एम0 कॉलेज ऑफ एजूकेशन,
मुइया, घाटमपुर,
कानपुर नगर

सारांश

बेरोजगारी देश की प्रमुख समस्या है जो प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरूद्ध करती है। ग्रामीण, शहरी, शिक्षित एवं अशिक्षित सभी वर्ग इस समस्या से ग्रस्त है। भारत की लगभग 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है जहाँ अदृश्य बेरोजगारी विद्यमान है। भारत जैसे देशों में बेरोजगारी समर्थ मांग के अभाव से उत्पन्न नहीं होती है। बल्कि यह पूँजी या अन्य अनुपूरक साधनों के अभाव का परिणाम होती है, जिसके दुष्परिणाम देश और समाज के लिए घातक सिद्ध होते है। समग्र रूप से ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए उत्पादन की नवीन इकाइयाँ कायम की जायें। यह अनुभव किया गया है कि सरकार द्वारा संचालित रोजगार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन उचित ढंग से न होने के कारण रोजगारपरक कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाये हैं। अतः सरकार रोजगारपरक कार्यक्रमों को प्रभावशाली रूप से क्रियान्वित करे। जिससे लाभपूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके ओर देश बहुमुखी प्रगति व समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके।

मुख्य शब्द : बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, रोजगारपरक कार्यक्रम

प्रस्तावना

बेरोजगारी भारत की मूलभूत एवं गम्भीर समस्या है। दीर्घकालीन नियोजन के बावजूद यह देश में व्यापक रूप से फैली हुई है तथा समय के साथ–साथ बढ़ती जा रही है। आज देश का कोई भी क्षेत्र अथवा वर्ग इस समस्या से मुक्त नहीं है। ग्रामीण हो या शहरी, शिक्षित हो या अशिक्षित आज सभी बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त है। बेरोजगारी एक ऐसी बुराई है जिसके दुष्परिणाम देश और समाज के लिए घातक सिद्ध होते है। इससे देश की उत्पादक मानव शक्ति अप्रयुक्त रह जाती है। जिसका देश के उत्पादन, पूंजी निर्माण, व्यापार, व्यवसाय और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी से सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयाँ तथा विषमताएं उत्पन्न हो जाती है। लोग अभाव ग्रस्त, दुःखद जीवन व्यतीत करने को विवश हो जाते है। उनके जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। अतः लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने तथा देश की बहुमुखी प्रगति तथा समृद्धि के लिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान अत्यन्त आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. ग्रामीण बेरोजगारी का विश्लेषण करना।
2. ग्रामीण बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन एंव उनके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है।

बेरोजगारी से तात्पर्य

जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ हो तथा वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहे ताकि वह अपनी आजीविका चला सके, परन्तु उसे कोई काम न मिले तो उस व्यक्ति को बेरोजगार तथा इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते है। अन्य शब्दों में, बेरोजगारी वह दशा है जिसमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को, जो कार्य करने की इच्छा रखता है प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता।

मूल बात यह है कि कोई व्यक्ति जो सिर्फ एक उपभोक्ता है परन्तु उत्पादक नहीं, वह एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक नहीं होगा। 'प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार' के साथ 'प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार' भी एक अच्छे स्वस्थ समाज की उक्ति होनी चाहिए। उत्पादक होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सामान्य अर्थ में कार्यरत हो या किसी के अधीन कार्य करें। इसके लिए, व्यक्ति दूसरों को काम में लगाए या स्वयं को कार्य में लगाए या किसी अन्य के द्वारा कार्य में लगाए जाएं। ये सभी उपयोगी ढंग से कार्यरत है। अतः रोजगार में लगे हुए माने जाते है।

बेरोजगारी के स्वरूप

1. संरचनात्मक बेरोजगारी
2. अल्प रोजगार
3. खुली बेरोजगारी
4. मौसमी बेरोजगारी
5. शिक्षित बेरोजगारी
6. प्रच्छन्न बेरोजगारी

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी

भारत की लगभग 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि है लेकिन इस जनसंख्या को गाँवों में पूरा काम नहीं मिल पाता है। अतः वहाँ जो बेरोजगारी पायी जाती है उसे ग्रामीण बेरोजगारी कहते है। जो मुख्यतः मौसमी बेरोजगारी व प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में पायी जाती है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बेरोजगारी

उत्तर प्रदेश भारत का एक विशाल राज्य है यहाँ भारत की कुल आबादी का 16.51% हिस्सा रहता है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश की अधिसंख्य जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। प्रदेश की आबादी का 77.73% हिस्सा गाँवों में है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या पिछड़ी हुई तथा कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनमानस गरीबी एवं बेरोजगारी से ग्रसित है।

तालिका सं0 1

उ0प्र0 में सामान्य बेरोजगारी दर

2004–2005		2009–2010		2011–2012	
ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
0.6	3.3	1.0	2.9	0.9	4.1

स्रोत – NSSO रिपोर्ट, 2004–05, 2009–10, 2011–2012

NSSO रिपोर्ट के अनुसार उ0 प्र0 में वर्ष 2004–05 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 0.6 प्रतिशत थी जो 2009–2010 में 0.4% वृद्धि के साथ 1.0 प्रतिशत रह गयी और 2011–2012 में बेरोजगारी दर 0.1% घटकर 0.9% हो गई। वही शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 2004–05 में 3.3 प्रतिशत थी जो 2009–2010 में 0.4% घटकर 2.9% रह गयी और 2011–2012 में 1.2% वृद्धि के साथ 4.1% हो गयी।)

तालिका सं0 2

उ0प्र0 में बेरोजगारी दर 2015–2016 (Per-1000)		
कुल	ग्रामीण	शहरी
74	67	76

स्रोत– श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार सर्वे 2015–2016

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सर्वे 2015–2016 के अनुसार उ0प्र0 में प्रति 1000 व्यक्ति में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्र में 76 और शहरी क्षेत्र 67 थी।

उ0प्र0 में जून 2017 में बेरोजगारी दर 2.7% रही।

ग्रामीण बेरोजगारी के कारण

कृषि की अनिश्चित प्रकृति

भारतीय कृषि की प्रकृति अनिश्चित है। यह मौसमी वर्षा पर निर्भर करती है। कभी इसे अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है तो कभी अनावृष्टि का सामना करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होती है।

जनसंख्या में वृद्धि

ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है जिसके फलस्वरूप प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है।

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का पतन

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के पतन से जो व्यक्ति इन व्यवसायों में लगे हुए थे बेकार हो गए। ग्रामीण अपनी उत्पादन लागत और बाजार कीमतों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। उनकी गुणवत्ता व आकर्षण भी फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं की तुलना में कम अच्छा हेाता है परिणाम–स्वरूप या तो लोग बिना लाभ के उद्योग चलाते है और अर्द्ध बेरोजगारी का शिकार हो जाते है या फिर इन उद्योगों को छोड़कर खेती में भूमिहीन मजदूरों की तरह काम करना शुरू कर देते है और मौसमी तथा अस्थायी बेरोजगारों की श्रेणी में खड़े हो जाते है।

कृषकों की ऋणग्रस्तता

ऋणग्रस्त होने के कारण कृषकों की भूमि महाजनों एवं अन्य ऋणदाताओं के हाथ में चली जाती है जिससे वे भूमिहीन बन जाते है और रोजी के अभाव में बेरोजगारों की पंक्ति में सम्मिलित हो जाते है।

दोषपूर्ण कृषि विपणन व्यवस्था

भारत में कृषि उपज को बेचने की समुचित एवं दक्ष व्यवस्था नहीं है जिससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। इससे कृषकों को कम आय प्राप्त होती है तथा उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों का संचालन किया गया है जो निम्नवत् है–

सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण रोजगारपरक कार्यक्रम

हमारा देश विशाल गाँवों का पुंज है। उत्तर प्रदेश की अधिसंख्य जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास की गति धीमी रही है। देश के आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण विकास हमारी अहम् और आधारभूत आवश्यकता है। ग्रामीण विकास से हमारा तात्पर्य मूल रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है जिससे ग्रामीण जनसंख्या को आत्मनिर्भर बनाकर उसे आर्थिक विकास की ओर ले जा सके। हमारे भूतपूर्व युवा प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गांधी जी ने कहा था ''हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम एक मजबूत तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस अर्थव्यवस्था की उत्पादक शक्तियों को मजबूत बनायें।'' यह कथन इस बात की ओर संकेत करता है कि बेरोजगारी कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि यह काफी पहले से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहा है,इसी कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बेरोजगारी को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न रोजगारपरक योजनायें संचालित की गयी है, जो निम्नवत् हैः–

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना

1. श्रम के बदले खाद्यान्न योजना प्रदेश में वर्ष 1977 में प्रारम्भ की गयी थी।
2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी एवं गरीबी को दूर करना है।
3. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान पूर्णतया खाद्यान्न के रूप में किया जाता था। मजदूरी के भुगतान हेतु अपने अंश के रूप में दो किलोग्राम खाद्यान्न प्रति मजदूर प्रतिदिन निर्धारित किया गया तथा एक किलोग्राम खाद्यान्न का मूल्य उपलब्ध कराया गया। मजदूरी का शेष भाग प्रदेश सरकार वहन करेगी।

ट्राइसेम योजना

1. ट्राइसेम योजना प्रदेश में वर्ष 1979–80 से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना है।
2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत भारत सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार वित्त वहन करेगी।
3. इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को ऐसे युवकों जिनकी आयु सामान्यतः 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर स्थानीय संसाधनों पर आधारित उचित उद्योग धन्धों एवं व्यवसायों तथा सेवाओं में रोजगार देने का कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

1. ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार एवं अर्द्ध बेरोजगार स्त्री–पुरूषों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने हेतु पूर्ववर्ती कार्यक्रम 'काम के बदले अनाज' के स्थान पर अक्टूबर 1980 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।
2. ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार एवं अर्द्ध बेरोजगार स्त्री पुरूषों के लिए विशेष रूप से उस समय जब कृषि कार्य बहुत कम होता है, लाभप्रद रोजगार के अवसर सृजित करना।
3. 1980 में यह योजना केन्द्र द्वारा वित्तपोषित थी किन्तु वर्ष 1981–82 से भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार की 50–50 प्रतिशत वित्तीय सहायता से यह योजना संचालित की गयी।

जवाहर रोजगार योजना

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना को समाप्त करके 1 अप्रैल 1989 से जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की गयी।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बेरोजगार व अर्द्ध बेरोजगार व्यक्तियों (महिलाओं सहित) को उपयोगी अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन जो उनकी आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थापनाओं के सुदृढ़ीकरण में सहायक हो।
4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति, खानाबदोश जन–जातियों को प्राथमिकता के साथ ही 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।
5. योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशियों का 80% भारत सरकार व 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

सुनिश्चित रोजगार योजना

1. प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारम्भ की गयी तथा 1 अप्रैल 1999 से पुनसर्चित रूप से लायी गयी।
2. प्राथमिक उद्देश्य के रूप में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीब व्यक्तियों के लिये, मजदूरी रोजगार की भारी कमी हो जाने के समय के दौरान, शारीरिक श्रम आधारित मजदूरी रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने पर ध्यान केन्द्रित करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी गरीब व्यक्तियों के लिए है जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता हो तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा उन बाल श्रमिकों जिन्हें जोखिम वाले रोजगार से हटा लिया गया हो, के अभिभावकों को वरीयता दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं हेतु रोजगार सृजन योजना

1. यह योजना अप्रैल 1995 से प्रदेश में प्रारम्भ की गयी है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के लिए रोजगार सृजन करके महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न एवं बढ़िया जीवन प्रदान करना है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

1. ''स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना'' नामक एक नया स्वरोजगार कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 से प्रारमभ किया गया। इसके साथ ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजारों की आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना तथा दस लाख कुँओं की योजना अर्थात् पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया है।
2. इस योजना का उद्देश्य छोटे–छोटे उद्योगों के विकास के जरिए सतत् आय सृजन की सुविधा उपलब्ध कराकर कार्यक्रम को सफल बनाना।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

1. 'जवाहर ग्राम समृद्धि योजना' जो पूर्ववर्ती 'जवाहर रोजगार योजना' (जे0आर0वाई) का पुनसर्चित तथा व्यापीकृत रूप है, को 01 अप्रैल, 1999 को सम्पूर्ण प्रदेश में प्रारम्भ किया गया।
2. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बेरोजगारों हेतु पूरक रोजगार का सृजन करना तथा मांग के आधार पर सामुदायिक ग्रामीण अवस्थापना हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन तथा ग्रामीण गरीबों के लिए निरन्तर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली परिसम्पत्तियों का निर्माण करना।
3. इस योजना में केन्द्र व राज्य सरकार का क्रमशः 75% एवं 25% वित्तीय अंश होता है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

1. प्रदेश में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का

क्रियान्वयन 1 अगस्त, 2001 से प्रारम्भ किया गया।

2. इस योजना का उद्देश्य समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ स्थायी सामुदायिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिसम्पत्तियों तथा अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है।
3. स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ–साथ प्रति मानव दिवस 5 किलो चावल अथवा 6 किलो गेहूँ तथा शेष धनराशि नकद मजदूरी के रूप में वितरित की जाती है।
4. वर्ष 2001–02 में पूर्व संचालित सुनिश्चित रोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को समाहित कर दिया गया।
5. इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75%25 है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

1. ग्रामीण रोजगार के लिए गारण्टी के प्रस्तावित अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक वयस्क सदस्य को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।
2. रोजगार की माँग करने पर 15 दिन के भीतर तथा रोजगार कार्य स्थल से 5 किलोमीटर के दायरे में होगा यदि ऐसा नहीं होता तो श्रमिक को यात्रा भत्ता व रहने की सुविधा देनी होगी।
3. ग्रामीण परिवार के 18 वर्ष से अधिक उम्र के कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारण्टी देगा।
4. वित्तीय भार का 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार व शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (मनरेगा)

1. ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार कार्यक्रमों की दृष्टि से 'मनरेगा' सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है, जिसे 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना' के नाम से आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से 2 फरवरी, 2006 को शुरू किया गया था। 02 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने इसका नाम परिवर्तित करके 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' कर दिया था, इसके अन्तर्गत अधिकार पर आधारित अधिनियम के द्वारा ग्रामीण निर्धन को सशक्त करने पर बल दिया गया है, जिसमें पूर्ण पारदर्शिता, स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी तथा हिसाब देयता के द्वारा जमीनी लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई है।
2. प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क को रोजगार उपलब्ध कराना।
3. 15 दिनों के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराना या बेरोजगारी भत्ता देना।
4. प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारण्टी शुदा रोजगार देना जो वास्तविक मांग पर निर्भर करता है।
5. अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन करने वाली महिलाओं को कार्यक्रम में शामिल करने में प्राथमिकता दी जाती है। यह व्यवस्था है कि कुल लाभान्वित व्यक्तियों का कम से कम एक तिहाई हिस्सा महिलाएं होनी चाहिए।
6. 2008–09 में यह योजना देश के समस्त जिलों में फैल चुकी है।
7. मजदूरी के भुगतान विलम्ब को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबन्धन प्रणाली प्रारम्भ की गई है।
8. कार्यो की गुणवत्ता की समीक्षा और निगरानी के लिए ग्रामीण समुदायों के बीच सामाजिक ऑडिट का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

1. स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने के लिए एक नया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केन्द्र सरकार ने 2008 से शुरू किया।
2. प्रधानमंत्री की रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय इस नए कार्यक्रम में कर दिया गया।
3. इस योजना का कार्यान्वयन केवीआईसी एक्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज स्तर (DIC) द्वारा किया जायेगा।
4. राष्ट्रीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के आधीन वैधानिक निकाय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एक मात्र नोडल एजेन्सी निर्धारित की गई है।
5. वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस कार्यक्रम हेतु 1050 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया है।

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना

1. अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना 27 नवम्बर 2014 को प्रारम्भ की गई थी।
2. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न रोजगारपरक परियोजना इकाइयों को स्थापित कर स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
3. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रति इकाई लागत का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10000 रूपये तथा अन्य लाभार्थियों के लिए 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 7500 रूपये तक राज्य सहायता एवं शासकीय अनुदान दिया जाता है।
4. ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप बहुआयामी स्वरोजगार हेतु परियोजनाओं के संचालन पर विशेष बल दिया जा रहा है।
5. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों में रोजगार हेतु गाँव से शहरों की ओर होने वाले पलायन की प्रवृत्ति को रोकना है।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं ने ग्रामीण बेरोजगारी को कम किया है तथा सरकारी प्रयास सराहनीय है परन्तु इसे और सशक्त बनाकर बेरोजगारी को कम व समाप्त किया जा सकता है जिसके लिए

सुझाव निम्नवत् है–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिक क्षेत्र से हटाकर द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की ओर स्थानान्तरण करना चाहिये। जिसके लिए सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण लोगों को रोजगार प्राप्त हो।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक वातावरण को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए और ग्रामीण जनता को यह बताना चाहिए कि बेकार बैठने से तो कुछ काम करना अच्छा है। इसके लिए ग्राम पंचायत व ब्लाक समिति को सहायता करनी चाहिए।
3. ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक ऐसे उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग होता हो जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्राप्त हो पाए।
4. रोजगार वृद्धि हेतु बैंकों द्वारा अत्यधिक मात्रा में स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।
5. ग्राम प्रधानों को रोजगार से सम्बन्धित योजनाओं की पूर्ण जानकारी दी जाये और ग्रामवासियों तक रोजगार कार्यक्रम की जानकारी पहुँचाने व साथ ही इन कार्यक्रमों से लाभान्वित कराने का जो लक्ष्य है, उसे पूरा कराने की जिम्मेदारी दी जाये।
6. रोजगार कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्याओं के निवारण हेतु कई टीमें बनायी जायें जो ग्रामवासियों से सम्पर्क करके यह पता लगाये कि ग्रामों में संचालित रोजगार कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार या भाई–भतीजावाद की नीति तो नहीं अपनायी जा रही है, यदि हाँ तो उन्हें कठोरता से दंडित किया जाये।
7. रोजगार में वृद्धि के लिये बैंको द्वारा अत्यधिक मात्रा में स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।
8. गाँवों में कुटीर उद्योगों व लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाये जिससे ग्रामीण प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार में लग सके और बेरोजगारी कम करने में सहयोग दें।
9. रोजगार एवं स्वरोजगार के विकास हेतु चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं के स्थान पर इनकी संख्या घटाकर उनके आधार को व्यापक करें, केवल राजनीतिक स्वार्थवश अथवा वाहवाही लूटने के लिए नए–नए लुभावने शब्दों वाली योजनाओं की घोषणा करने के स्थान पर उनकी कार्यप्रणाली पर ध्यान देना चाहिए।

ग्राम स्तर पर रोजगार कार्यालय खोले जाये। जहाँ पर गाँव के बेरोजगारों का पंजीकरण किया जाये तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पन्त, डॉ0 जे0सी0 एवं मिश्रा, डॉ0 जे0पी0, 'भारतीय आर्थिक समस्याएँ', साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
2. चौबे पी0के0, 'भारत का आर्थिक विकास'।
3. अग्रवाल, मनोज कुमार एवं निगम, सुधीर कुमार, 'उत्तर प्रदेश में विकास योजनाएँ', नार्दन बुक सेंटर, नई दिल्ली।
4. तोमर, डॉ0 आर0बी0एस0, बेरोजगारी की समस्या का समाधान बनाम ग्रामोत्थान।
5. दत्त, रूद्र एवं सुन्दरम, के0पी0 एम0, 'भारतीय अर्थव्यवस्था' एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड, रामनगर, नई दिल्ली

पत्रिका

योजना – 2015, 2016, 2017
कुरूक्षेत्र– 2016, 2017
प्रतियोगिता दर्पण– 2017